2017/00458

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 6 एस.एल.डी.तहसील छतरगढ हाल मकाननं. 6/88 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर : ब ना म : सहा. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ एवं श्रीमती सबीना विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ प्रथम सूचना अपील संख्या 250/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित।

2 अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 09.08.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपील के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा जवाब क्रमांक 1809 दिनांक 27.11.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना जवाब के संलग्न प्रस्तुत करदी गई है, प्रतिलिपि अपीलार्थी को डाक द्वारा भेजदी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. इसके विपरीत अपीलार्थी की लिखत बहस है कि मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज जिला कलक्टर कार्यालय में उपलब्ध करवाये गये है, जो साफ नहीं है, व मेरे द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज पूर्ण उपलब्ध नहीं करवाये गये है। अतः मांगी गई सूचना से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी, छतरगढ को निर्देश प्रदान किये जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ द्वारा प्रेषित जवाब स्पष्ट नहीं है। प्रस्तुत जवाब की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है जिसके साथ प्रेषित सूचना/दस्तावेज का ब्यौरा अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से हम संतुष्ट नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर